

ज्यादा महंगी दवाएं बेचीं, चुकाने पड़े 217 करोड़

सुरेश उपाध्याय ॥ नई दिल्ली

मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली दवाओं के भी मनमाने दाम वसूलने वाली कंपनियों से सरकार ने करीब 217 करोड़ रुपये की वसूली की है। सरकार को इनसे अभी करीब 2,141 करोड़ रुपये की वसूली और करनी है। यह वह राशि है, जो कई दवा कंपनियां मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली दवाओं के भी मनमाने दाम वसूलकर अपनी जेब में डाल चुकी हैं।

केंद्र सरकार ने गरीब जनता को दवाओं के मनमाने दामों से राहत

दिलाने के लिए 94 बल्क ड्रग्स और उनके संयोग से बनने वाली दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में रखा है और इनके रेट तय कर रखे हैं। इन रेट्स की समय-समय पर समीक्षा होती है और जरूरत के मुताबिक इनमें बढ़ोतरी भी होती रहती है। बावजूद इसके, कई देशी-विदेशी दवा कंपनियां अपनी दवाओं के मनमाने रेट तय कर देती हैं। कस्टमर के लिए इस मनमानी को सहन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। फार्मा कंपनियां करीब 13 वर्षों में मनमाने तरीके से जनता के 2,358 करोड़ रुपये अपनी जेब में डाल चुकी हैं।

NPPA